राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

(ईमेल आईडी pdme2k_rdd@yahoo.com फोन न. 0141–22272290)

क्रमांक :– एफ 2(3)ग्रावि/ग्रुप–8/2015 जयपुर, दिनांकः 28/06/2019

बैठक कार्यवाही विवरण

माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 07.06.2019 को आयोजित समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देश प्रदान किये गये :–

1. ग्रामीण विकास

महात्मा गांधी नरेगा योजना

- वर्तमान में श्रमिक दर रूपये 199 के विरूद्ध राज्य में औसत श्रमिक मजदूरी दर 137 रूपये है, जो बहुत कम है। इसे बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण के माध्यम से विशेष प्रयास किये जावे।
- शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रेक्चर बहुत कम है। अतः योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के मकान/भवनों में रूफ टॉप वाटर हारवेहिस्टंग हेतु संरचना तैयार किये जाने के संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं में बनाए जाने के संबंध में विचार किया जावे, ताकि वर्षा जल का संरक्षण हो सके।
- मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किये जाने संबंधित प्रगति से अवगत कराया जावे।
- समस्त कार्य स्थलों पर कार्य स्थल सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर से जिलों की प्रभावी मॉनिटरिंग की जावे।

राजीविका

- आईसीडीएस द्वारा क्रियान्वित Take Home Ration का उत्पादन राजीविका के अन्तर्गत गठित क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से कराने से पूर्व आवश्यक Exposure Visit कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करना सुनिश्चित करें।
- राजीविका द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2019–2020 मे शेष 143 ब्लाकों में क्रियान्वयन विस्तार सुनिश्चित करने हेतु एनआरएलएम अन्तर्गत समय पर 40 प्रतिशत राज्यांश(120 करोड) जारी करने के प्रयास किये जायें।
- राजीविका एवं सीएमएफ के मध्य हुये अनुबन्ध के अनुसार राज्य मुख्यालय में पदस्थापित कर्मियों के साथ बैठक माननीय उप मुख्यमत्री की अध्यक्षता मे आयोजित करने के निर्देश दिये गये।

ग्रामीण विकास योजनाएं

- ग्रामीण विकास द्वारा संचालित डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं की कम प्रगति पर माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। उक्त योजनाओं में शत–प्रतिशत व्यय करने हेतु आवश्यक कदम उठायें जावें, जिसके लिये तीनों योजनाओं में पूर्व वर्षों की अवशेष राशि एवं चालू वित्तीय वर्ष की आवंटित राशि को आगामी 60 दिवस में व्यय करने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश प्रदान किये गय ।
- चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्य योजना को आगामी 7 दिवस में जिलों से प्राप्त करते हुये अनुमोदन की कार्यवाही की जावे।
- विभाग की समस्त योजनाओं में गत वर्षों के अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु ठोस कदम उठायें जायें।

2. पंचायती राज

पंचायती राज द्वारा अनुदान की राशि की उपलब्धता, व्यय के संबंध में विस्तार से अवगत करवाते हुए मुख्यतः निम्न समस्यायें बताई गयीः–

- अनुदान राशि में वर्ष दर वर्ष काफी बढ़ोतरी हो रही है परन्तु पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली एवं उपलब्ध मानव संसाधन सीमित होने के कारण राशि का उपयोग करने में काफी समस्यायें आ रही हैं। इस संबंध में राशि का समुचित सदुपयोग हेतु तैयार किये गये विजन डॉक्यूमेंट के बारे में पृथक् से चर्चा करने के निर्देश दिये गये।
- विभाग में क0 अभियंता पद पर मात्र 175 कार्मिक कार्य कर रहे हैं। इतनी अल्प संख्या के पदों से लगभग 9000 करोड रू0 की अनुदान राशि का प्रबंधन संभव नहीं है। इस संबंध में मा0 उपमुख्यमंत्री महोदय द्वारा शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
- विभागीय योजनाओं में जो विकास कार्य हों, वह प्रभावी एवं स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होने चाहिए, इस बाबत् निर्देश दिये जायें।
- पंचायती राज योजनाओं की जो राशि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को दी जा रही है उस राशि से जो कार्य सम्पादित हो रहें हैं, उनकी सघन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये गये।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

(कैलाश चन्द मीना)
विशिष्ट शासन सचिव
ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
2. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रा.वि।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
7. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायतीराज/महात्मा गांधी नरेगा।
8. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, एसएपी/मोएवंमू।
9. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (LP & SHG),राजीविका।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं उप सचिव, बायोफ्यूल प्राधिकरण।
11. स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण।
12. एसीपी/प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट www.rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

28/06/19

परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)